कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः- 1013 /FP/UK/ROAD/145620/2021 दिनॉकः देहरादून 15 अक्टूबर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः–जनपद चमोली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु हेतु 1.383 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का ई0डी0एस0 दिनांक 30.06.2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 30.06.2022** के सम्बन्ध में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 823/12–1 दिनांक 28.09.2022 के द्वारा से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0	चाही गई सूचना	आख्या
1	बिन्दु सं0–01 के जवाब में पाया गया कि ग्राम आलयू की वर्तमान मार्ग से पैदल मार्ग दूरी 500 मी0 है। IRC norms के अनुसार 500 मी0 पैदल दूरी तक गांव को संयोजित माना जाता है। अतः राज्य सरकार IRC norms की प्रति के साथ प्रस्ताव को प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1348/12–1 दिनांक 13.09.2022 से अवगत कराया गया है कि शासनादेश सं0 8167/III (2)/18–5 (सामान्य 9/2018 दिनांक 31.12.2018 के अनुसार 100 मी0 ऊध्वार्धर (Vertical) की दूरी पर ग्रम संयोजित माना जाता है की प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है। IRC norms की प्रति संलग्न है। **(प्रति संलग्न)**
2	बिन्दु सं0 02 के सापेक्ष में दिया गया स्पष्ट्रीकरण मान्य नहीं है मार्ग को घने वन क्षेत्र से प्रस्तावित किया गया है। जबकि इसको वृक्ष–विहीन अथवा बिरल क्षेत्र से भी प्रस्तावित किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार वैकल्पिक समरेखण का चयन कर नवीन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा, अपने कार्यालय पत्रांक 1348/12–1 दिनॉक 13.09.2022 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित कार्य स्थल का निरीक्षण प्रयोक्ता एजेन्सी व वन विभाग के द्वारा किया गया, उक्त मोटर मार्ग का निर्माण जिस क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है वहां का सम्पूर्ण भू–भाग घने वन क्षेत्र से आच्छादित है। प्रस्तावित चयनित संरेखण का चुनाव कम से कम वृक्षों को क्षति पहुंचाते हुए की गयी है। अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग निर्माण में चयनित संरेखण ही सबसे अधिक उपयुक्त है तथा भू–वैज्ञानिक द्वारा भी चयनित संरेखण पर ही सड़क निर्माण की संस्तुति प्रदान की गयी है, यदि मार्ग के निर्माण में किसी अन्य वैकल्पिक संरेखण पर विचार किया जाता है तो वह तकनीकी दृष्टि (जैसे मार्ग का ग्रेड व एच0पी0 बैण्ड की चौड़ाई इत्यादि) से उपयुक्त प्रतीत नही हो रहा है। अथवा मार्ग की लम्बाई अधिक हो जा रही है मार्ग की लम्बाई अधिक हो जाने के कारण अधिक मात्रा में वन सम्पदा को क्षति

		पहुंचेगी व भूस्खलन की संभावना भी बढेगी। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण होने से यह मार्ग एक लिंक रोड़ के रूप में कार्य करेगा। जिससे परखाल चोपता मोटर मार्ग व परखाल डुंग्री मोटर मार्ग आपस में जुड़ जायेगें उक्त मार्ग के निर्माण होने से मात्र ग्राम आलयू के साथ–साथ ग्राम डुंग्री, रेंगांव, सिलकोटी व सीरी के निवासियों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 1013 / FP/UK/ROAD/145620/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 823/12–1 दिनांक 28.09.2022 के कम में
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, थराली।

15/10/22

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

O/C